



2026:AHC: 175786

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5091 वर्ष 2026

प्रताप वीर सिंह

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

---

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : हिमांशु रंजन शुक्ला, रमेश कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या- 86**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि**

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु रंजन शुक्ला और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करे और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर के विद्वान न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत, पुलिस थाना स्वार, जिला रामपुर से संबंधित प्रकीर्ण आपराधिक वाद संख्या 560 वर्ष 2023 (श्रीमती सुमन सागर और एक अन्य बनाम प्रताप वीर सिंह) में पारित आक्षेपित पंचाट/आदेश दिनांक 20.07.2026 को अपास्त करे, जिसके द्वारा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर के विद्वान न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के भरण-पोषण को स्वीकार किया है और आवेदन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दाखिल करने की तिथि 29.09.2023 से पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध 15000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किया है, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस माननीय न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर के विद्वान न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत, पुलिस थाना स्वार, जिला रामपुर से संबंधित प्रकीर्ण आपराधिक वाद संख्या 560 वर्ष 2023 (श्रीमती सुमन सागर और एक अन्य बनाम प्रताप वीर सिंह) में पारित आक्षेपित पंचाट/आदेश दिनांक 20.07.2026 को अपास्त करने की कृपा करे, जिसके द्वारा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर के विद्वान न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के भरण-पोषण को स्वीकार किया है और आवेदन दाखिल करने की तिथि 29.09.2023 से पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध 15000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किया है, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2026 के माध्यम से, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर ने आवेदन की तिथि अर्थात् 29.09.2023 से विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) को 15,000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किया है, जो अत्यधिक है और पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है।

4. मैंने पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

5. अभिलेख के परिशीलन पर, यह न्यायालय पाता है कि पुनरीक्षणवादी एक सरकारी शिक्षक है और लगभग 65,000/- रुपये का मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है और उसके पास आय के अन्य स्रोत भी हैं अर्थात् कृषि कार्य और अपना घर, जिसे किराएदारों को किराए पर दिया गया है और उसकी कुल आय (अर्थात् वेतन और आय के अन्य स्रोत) लगभग 1 लाख रुपये है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश के अंतर्गत प्रदान किया गया भरण-पोषण पुनरीक्षणवादी की मासिक आय के 25% से कम है और डॉ. कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी, 1970 (3) एससीसी 129, कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी, एआईआर 2017 एससी 2383 और रजनेश बनाम नेहा और अन्य,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(2021) 2 एससीसी 324 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुरूप है।

इसलिए, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता/विकृति नहीं पाता है।

6. तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण, गुण-दोष से रहित होने के कारण, एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

7. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर, पुनरीक्षणवादी के नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी को उसके वेतन से भरण-पोषण की राशि काटने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करेंगे कि इसे बकाये, यदि कोई हो, सहित मासिक आधार पर सीधे विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) के सत्यापित बैंक खाते में जमा किया जाए।

8. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे जल्द से जल्द आवश्यक अनुपालन के लिए इस आदेश को तत्काल प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रामपुर को संप्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

20 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”